एनबीएफसी-एमएफआई-नई कंपनियां के लिए जाँच सूची

आवेदक कंपनी का नाम :

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :

क्रम सं	जाँच के मद	पुष्टि	पृष्ठ सं.
1	क्या आवेदन पर उचित मुहर लगाई गई हैं?		
2	क्या आवेदन के साथ निम्न संलग्न हैं :		
ए.	अनुबंध I क्या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत निदेशक द्वारा अनुबंध पर कंपनी की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर किया गया हैं? कंपनी न्यूनतम एक साख सूचना ब्यूरो /कंपनी और न्यूनतम एक एसआरओ की सदस्य है इस आशय से संबंधित निदेशक मंडल का संकल्प।		
बी.	अनुबंध II - लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित क्या अनुबंध II में दी गई जानकारी /सूचना नवीनतम वार्षिक लेखा परीक्षित तुलनपत्र के आंकडों पर आधारित हैं? (जिस विशेष वर्ष में आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष के 31 मार्च के बाद गठित कंपनियों के संदर्भ में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन पहले की नहीं होनी चाहिए।)		
सी.	अनुबंध III में प्रत्येक निदेशकों के संबंध में अतिरिक्त सूचना क्या डीआईएन और पॅन संख्या का उल्लेख किया गया हैं? यदि कंपनी ऋण सूचना ब्यूरो की पहले से ही सदस्य हैं तो क्या सभी निदेशकों के संबंध में सीआईबीआईएल के आंकडे प्रस्तुत किए गए हैं। यदि निदेशकों में कोई विदेशी नागरिक हैं, तो उनके संबंध में प्रस्तुत की गई विदेशी बैंकर की रिपोर्ट, पार-पत्र सं., सामाजिक सुरक्षा सं. उनके संबंध में प्रस्तुत की गई हैं? जो निवास के देश के प्राधिकरण द्वारा जारी पॅन नं: के समकक्ष हैं। क्या ऐसे कागज़ातो पर दी गई नाम और पते डीआईएन आबंटन पत्र पर दिए गए नाम और पते से मेल खाते हैं। यदि नहीं, तो विभिन्नता के		

	कारण दिए गए है? या वास्तविकता हेतु प्रस्तुत दावा मैजिस्ट्रेट प्रमाणपत्र से समर्थित हैं। क्या निदेशकों द्वारा वर्तमान और भूतपूर्व में धारित निदेशक पदों और उन कंपनियों /संस्थाओं के नाम और गतिविधियां जहाँ उनका पर्याप्त हित हैं। (10% से अधिक प्रतिशत का उल्लेख करें) प्रत्येक का उल्लेख अनुबंध III में किया गया हैं? क्या संस्थाएं जिसमें निदेशक , निदेशकपद धारित करते है उसके विनियामकों (आरबीआई,सेबी,आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनएचबी या कोई अन्य विदेशी विनियामक) के नाम का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो कृपया पंजीकरण ब्योरा दीजिए। क्या संस्थाएं अविनियमित है? यदि हाँ, तो उनकी गतिविधियों का स्वरुप दीजिए। अनिगमित निकायों का वित्तीय विवरण, यदि ग्रूप में हो तो, जहाँ निदेशक पिछले 2 वर्षों से पर्याप्त हित के साथ /पर्याप्त हित के बिना निदेशक पद धारण करता हैं।		
3	क्या अनुबंध III के मद सं.15 में रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफसी के रूप किसी कंपनी के नाम का उल्लेख किया हैं? यदि हाँ, तो कृपया उसके पंजीकरण का ब्योरा दीजिए ।		
4	क्या आवेदक कंपनी ने पहले अपने नाम में परिवर्तन किया हैं? यदि हां, तो पहले का नाम और परिवर्तन की तारीखों के साथ नाम में परिवर्तन के समय के कंपनी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का नाम प्रस्तुत किया गया हैं? नाम में परिवर्तन के लिए क्या आवेदक कंपनी ने कारण प्रस्तुत किया हैं?		
5	पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक के दौरान कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन की गई है तो, उसका ब्योरा और उसके कारण।		
6	आवेदक कंपनी ने क्या कभी जमा राशियों की चुकौती और ब्याज के भुगतान में चूक की हैं? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत की हैं और प्रत्येक मामले के संबंध में की गई कार्रवाई।		

7	क्या आवेदक कंपनी का उपभोक्ता मंच सहित किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा जमा राशियां स्वीकारने के मामलों सहित, यदि कोई हो, ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत की हैं?		
8	क्या कंपनी की संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और संस्था के अंतर्नियम की प्रमाणित अद्यतन प्रतियांअ प्रस्तुत की गई है? ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में किए गए परिवर्तन का विधिवत प्रमाणित ब्योरा। क्या आवेदक कंपनी के एमओए में एमएफआई का व्यवसाय करने के लिए समर्थन देने वाला /वाले खंड हैं?		
9	क्या आवेदक कंपनी द्वारा, यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो प्रारंभिक नाम तथा कंपनी के नाम में परिवर्तन के संबंध में गठन का नया प्रमाण पत्र सहित गठन का प्रमाण पत्र (कंपनी रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर वाला) की प्रमाणित प्रति प्रदान की गई है?		
10	क्या कंपनी द्वारा कंपनी को पॅन/सीआईएन संख्या आबंटित करने वाला पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं?		
11	क्या कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों की प्रमाणित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा की प्रतियां प्रस्तुत की हैं? यदि कंपनी को घाटा हो रहा है, तो उससे निकलने के उपायों का उल्लेख किया हैं?		
12	क्या आवेदक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान, निदेशकों से सहित गैर-जमानती ऋण जुटाया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या वे एपीडी दिशानिदेश, 1998 की धारा 2(1)(xii) के तहत सार्वजनिक जमाराशि की परिभाषित की परिभाषा में आते हैं?		
13	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधियों में व्यस्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सेबी के किसी विनियमों का अनुपालन शेष हैं? (विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)		
14	कंपनी का अद्यतन शेयर धारिता स्थिति क्या हैं और इनके बनने का प्रतिशत क्या है? यदि कोई कॉरपोरेट एनबीएफसी शेयर धारक है, तो उन्हें अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से सांविधिक एनओएफ लेने के संबंध में		

	प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा बशर्ते ऐसी एनबीएफसी निवेश किया गया हो? अन्य कारपोरेट स्टेक धारकों की कार्य गतिविधि क्या है?		
15	क्या आवेदक कंपनी में एफडीआई धारण करती है? यदि हाँ, तो क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाई गई हैं? (अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत की जाए) धारण का प्रतिशत क्या हैं? क्या इसके समर्थन में कंपनी द्वारा एफआईआरसी तथा एफसी-जीपीआर प्रस्तुत किया गया है? क्या कंपनी न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों को पूरा करती है अथवा नहीं? (सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए) क्या विदेशी संस्था एफडीआई में योगदान दे रही हैं, बशर्ते वह अपने स्वदेश के पर्यवेक्षण के अधीन हों? यदि हाँ, तो विनियामक का नाम, पता और इमेल आईडी क्या हैं? यदि नहीं है, तो विदेशी निवेशक की विधिक स्थिति क्या हैं? किस हैसियत से इसकी स्थापन हुई थी? क्या यह सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध संस्था हैं? आरबीआई, एफईडी द्वारा कोई अनुमति दी गई थी। यदि हाँ, तो अनुमति की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। की गई गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां करने वाले ग्रूप /सहयोगी कंपनियों के विनियामक का ब्योरा जो स्वदेश या अन्य देश में विनियमित हो, कोई हो तो। यदि कोई ग्रूप /सहयोगी कंपनी भारत में परिचालन करती है, उसकी गतिविधियां, साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।		
16	क्या कंपनी को एफईडी से संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो भारिबैं के अनुमति प्रदान करने वाले पत्र की प्रति।		
17	क्या आवेदक कंपनी ने निदेशक मंडल के आवेदन प्रस्तुत कराने और		

	एनबीएफसी-एमएफआई जैसा सीओआर की में निहित और निदेशक को आवेदन प्रस्तुत कराने हेतु प्राधिकृत करने के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं?		
18	क्या कंपनी द्वारा पूर्व में सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करने / उस तारीख तक सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं करने और भविष्य में बैंक की पूर्वानुमति के बगैर सार्वजनिक जमा राशि नहीं स्वीकार करेंगे इस आशय का निदेश मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है?		
19	क्या आवेदक कंपनी द्वारा किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर कोई अवांछित सघनता से बचने के लिए आंतरिक जोखिम सीमा निर्धारण करने वाले प्रमाणपत्र के संबंध में निदेश मंडल के संकल्प की प्रति प्रस्तुत की गई है?		
20	क्या आवेदक कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है कि 02 दिसंबर 2011 के गैबैंपवि.सीसी.नीप्र.सं. 250/03.10.01/2011-12 में विनिर्दिष्ट ऋणों की कीमत निर्धारण, उधार में उचित व्यवहार संहिता और वसूली पद्धति में बल का प्रयोग नहीं करना तथा इस संबंध में कंपनी अन्य विनियमों का पालन करेगी?		
21	क्या आवेदक कंपनी द्वारा निदेश मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें यह लिखा है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत कंपनी को लाइसेंस प्राप्त नहीं है?		
22	क्या लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र निम्न को प्रमाणित करता हैं : (ए) कंपनी इस तारीख को कोई सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं करती है। (बी) कंपनी इस तारीख को कोई एनबीएफसी गतिविधि नहीं कर रही है। (सी) कंपनी का एनओएफ______ है। (डी) कंपनी कारोबार योजना में अनुमानित आंकडों के अनुसार कंपनी अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति मानदण्डों को पूरा करेगी।		
23	क्या आवेदक कंपनी ने यह घोषणा किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं? और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?		
24	क्या आवेदक कंपनी के सभी निदेशकों ने व्यक्तिगत रूप से यह घोषणा किया है कि वे किसी भी अनिगमित निकायों से संबंद्ध नहीं हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ध के प्रावधानों का		

	अनुपालन करते है।		
25	क्या आवेदन के साथ ग्रूप /सहयोगी /सहायक /नियंत्रक /संबंधित कंपनी के संबंध में शेयर धारिता प्रतिशत सहित चार्टर्ड एकाउटेंट का प्रमाणपत्र संलग्न किया हैं। *(ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऎसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान (entities) का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश.)* क्या ब्योरे में कंपनी का नाम, उनकी गतिविधियां, उनके विनियामक का उल्लेख किया गया है? यदि वे अविनियमित हैं तो उनकी गतिविधियां का विवरण दिया गया है? क्या उक्त कंपनियों /संस्थाओं का नाम आवेदक कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाए गए है? यदि नहीं, तो क्या आवेदक कंपनी ने उसके कारणों का उल्लेख किया हैं? क्या कोई ग्रूप कंपनी विदेश में अवस्थित है? यदि हाँ, तो क्या वह सामान्य अनुमति रूट के तहत या सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर स्थापित की गई हैं? क्या ग्रूप कंपनियों में से कोई कंपनी एनबीएफसी है? यदि है तो पिछली निरीक्षण के दौरान पाये गए पर्यवेक्षी मद।		
26	क्या ग्रूप में कोई अन्य एनबीएफसी-एमएफआई/लंबित एनबीएफसी-		

	एमएफआई है? यदि हैं, तो क्या आवेदक कंपनी ने ग्रूप में अन्य एनबीएफसी-एमएफआई होने का कोई न्यायोचित्य स्पष्टिकरण दिया हैं।		
27	क्या आवेदक कंपनी के संबंध आवेदक बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?		
28	आवेदक कंपनी ने अनुबंध III के मद 14 और 15 के सामने उल्लिखित के अनुसार आवेदक कंपनी के निदेशक जिन कंपनियों में पर्याप्त हित धारण करते है उन कंपनियों के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
29	क्या आवेदक कंपनी ने ग्रूप /सहायक कंपनियों, कोई हो तो, के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
30	क्या आवेदक कंपनी ने विदेशी निदेशकों के संबंध में, कोई हो तो, विदेशी बैंकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं?		
31	क्या आवेदक कंपनी ने अगले तीन वर्षों के लिए कारोबार बढाने, बाजार हिस्सा और प्रस्तावित तुलनपत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय के स्वरूप का विवरण देते समय सार्वजनिक जमाराशियों के तत्वों को छोडकर कारोबार की योजना प्रस्तुत की हैं?		
32	तीन वर्षों की अनुमानित कारोबार योजना में निम्न का भी (वर्षवार) उल्लेख आवश्यक रूप किया जाना चाहिए: i. प्रवर्तन की जानेवाले ऋण परिसंपत्तियों की राशि ii. आय अर्जन के लिए लगाई जाने वाली ऋण परिसंपत्तियों की राशि iii. ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में प्रवर्तित की जानेवाली परिसंपत्तियों का अलग अलग विवरण। iv. ग्रामीण और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कंपनी जिन क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना चाहती है। v. अनुमानित लाभ vi. उधार की औसतन लागत vii. परिसंपत्तियों पर औसतन प्रतिलाभ(आरओए) viii. निवल परिसंपत्ति के 85% से अधिक अर्हक स्वरूप की परिसंपत्ति ix. निम्नलिखित में अपेक्षित पूंजी व्यय ए. भूमि और इमारत तथा बी. सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन x. कंपनी किस स्थान पर परिचालन करना चाहती हैं। xi. एसएचजी /जेएलजी के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए		

	संसाधनों का विनियोजन		
33	क्या कंपनी अधिनियम की धारा 274-278 के अनुपालन के अनुसार कंपनी में निदेशकों की संख्या रखा गई है? यदि नहीं तो इसके कारणों का उल्लेख करें।		
34	क्या कंपनी और उसके निदेशक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामले सहित किसी अपराधी मामले में शामिल हैं?		
35	यदि कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई पूंजी लगाई गई है तो उसका विवरण क्या कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार है?		
36	आवेदक एनबीएफसी-एमएफआई की प्रारंभिक पूंजी के लिए निधि का स्रोत क्या है? क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है?		
37	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।		

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन : प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।